

ग्रामीण सेवा शिविर-2025


पत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प

- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ठावारी
 भू.अ.नि मेठनुरिया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा नायक
 तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजसमन्द जिला न्यायालय अधिनियम
 1956 की धारा 136 के अनुच्छेद में प्राप्त आजगा तहसील रेलमगरा व
 जिला राजसमन्द की जमावन्दी संयत 2017 में खाता संख्या 180 में
 वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजसमन्द रिपोर्ट में अमल
 दरमद के आदेश दिये जाते है -

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजसमन्द रिपोर्ट में दर्ज की जानी है)
1	आजगा	180	भुरी पत्नि स्व. नाना भील शिक्षण- $\frac{1}{12}$, M.A. H.B. धनेरिया	भुरी पत्नि स्व. नाना भील शिक्षण- $\frac{1}{12}$ R.H.B., धनेरिया


उपखण्ड अधिकारी

रेलमगरा


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

क्रमांक- 366

तिलिपि -

दिनांक - 16/10/25

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजसमन्द रिपोर्ट में अमल दरमद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजायावे।
2. प्रार्थी श्री
3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी

रेलमगरा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर